

मौजा पट्टी

27/6/19

(3)

मौजा पट्टी 27/6/19 को प्रस्ताव पर चलता गिला की
मौजा आपसीमेज में एक मंडल की यह गिरी है। मैं पटवार - हल्का
मौजा विधानों में बताया कि नामधर लाल पुत्र दीपजी गणधिया
मिनाची आपसीमेज में 26/6/2019 की प्रार्थना के अनुसार हवा न
वर्षा के नामधर लाल पुत्र दीपजी की सीमेन्ट के पत्थर (छा) 1
इस गई है इन पत्थर इतने थे जेहें छदीर 5 बोरी ~~छा~~
जेहें न छल के चदरों के मण्डे रखार दी गये। चले उची
को अनुमानित 70-80 छाट का अनुमान हुआ है।
मौजा पट्टी पर यह प्रार्थना इन उपरिक्त मौजा -
विधानों के दस्तावेज संशुद्ध लिखे गये।

प्रमाणित
ना.रा. य. व. ला. 13

(अजिना कंठ बाण्ड)
सरपंच
ग्राम पंचायत, लौटाणा
पंचायत समिति, पिण्डवाडा

प्रमाणित
प. लौटाणा
27/6/19
पटवारी, लौटाणा
तह: पिण्डवाडा जिला-मिर्जापुर

कुवाणम
धनाराम
किंकर लाल
अधीन

पृष्ठ संख्या

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम का नाम	समय/संख्या	कुल राशिया का विवरण				सिमाई का स्रोत विद्युत कीमत का अनुमान
				समय/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या	
2								

एस.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत राशि -
नोट:- फटवारी गैर-धर्म/मकान का मरदा/भूमि संरक्षण/मकानकी प्रति संरक्षण करें ।

भवन संरक्षण

क्र.सं.	ग्राम नाम/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या	समय/संख्या
1	आपसी बनेडा नारायण लाल	26-6-19	कच्चा	प्रतिशत		

एस.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत राशि -

नोट:- फटवारी गैर-धर्म/मकान का मरदा/भूमि संरक्षण/मकानकी प्रति संरक्षण करें । मकान जोखी मकानकी प्रति का अर्थ सार से निर्दिष्ट हो नही है यदि है तो गैर-धर्म में

शब्दीय

म.क.प्र.
६.सूचना
26/6/19

तहसीलदार (भू-अभिलेख)
पिण्डवाड़ा (सिरौही)

कार्यालय
प्रमाणित-

दिनांक:-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बालकृष्ण शर्मा

श्री हीरा मन्जी निवासी तापसी निहा

तहसील पिण्डगाड़ा की मृत्यु/

क्षति/पशुक्षति/झोपड़ा आदि कि क्षति, (1) चक्रवात (2) सूखा (3) भूकम्प

अग्नि (5) बाढ़ (6) ओलावृष्टि (7) भू-स्थलन (8) हिम स्थलन (9) बादल

(10) किट आक्रमण (11) सुनामी (12) शीत गहर एवं पाला आदि प्राकृतिक

आपदाओं में से प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी

कारण दिनांक 26-6-19 को हुई है, एवं यह घटना प्राकृतिक

आपदा की श्रेणी में आती है। इसकी जांच गैर/हमारे द्वारा स्वयं कर ली गई है

एवं जांच उपरान्त संतुष्ट होने पर एच.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नोर्स तैयार

08.04.2015 के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु यह प्रमाण-पत्र जारी किया

जाता है।

प्रमाणित
0. प्रमाणित
26/6/19

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार (भू अभिलेख)
पिण्डगाड़ा (सिरोही)

तेज हवा के साथ बारिश, कई म (8)



■ खोज खबर

सरूपगंज। समीपवर्ती लोटाणा सहित आसपास के गांवों में मंगलवार देर सायं हुई बारिश से भले ही मौसम सुहावना हुआ हो, मगर तेज हवा के चलते कई मकानों की छत गिर गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर सायं तेज अंधड़ के साथ हुई तेज मुसलाधार बारिश से कई मकानों की छत गिर गई, जिससे लोगों को पूरी रात रिश्तेदार व पड़ोसियों के यहां बितानी पड़ी। तेज अंधड़ से लोटाणा निवासी नारायणलाल पुत्र हीरा गरासिया के मकान की छत सहित धवलीनेरी, आपरीखेड़ा में कई लोगों के मकानों की छत नीचे गिर गई। गनीमत रही कि तेज हवा से लोग अपने घरों से भागकर बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों के मकानों की छत गिरने के बाद पूर्व सरपंच रतनलाल गरासिया ने भू-अभिलेख निरीक्षक अचलाराम व पटवारी मदनलाल को घटना की सूचना दी।

मंडार। कस्बे सहित उपर रहा एवं पूरे दिन भर ग्रामी रहे लेकिन अचानक शाम देखते बारिश का दौर शुरू बारिश के दौर विकराल रूप बहाव चलने लगा। रात व दौरान पटवार घर के साम बिजली आपूर्ति भी बाधित का रूप लेने लगी। सड़क के क्रम में शोनेला बस स्टैंड के बीचों बीच में पानी भर सामना करना पड़ा।

9



राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(3)आ.प्र.एवं सहा/अंधड़/तूफान/2018/9861

जयपुर, दिनांक 20-11-

जिला कलेक्टर,
सिरोही, राजस्थान।

विषय:- मार्ग दर्शन प्राप्त करने कायदा।

प्रसंग:- आपके कार्यालय का पत्र संख्या प.14(12)()आ.प्र. एवं/बाढ़/सहायता./
2019/1140 दिनांक 11.11.2019 एवं संलग्नक के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अंधड़/तूफान को राज्य प्राकृतिक आपदा के तौर पर अधिसूचित कर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के साथ जोड़ा गया है। अतः अंधड़/तूफान से हुई क्षति पर भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस.डी. आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार ही सहायता देय है।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता:- खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230

ईमेल आई.डी. relief-rj@nic.in

अंधड़ व तूफान प्रम



राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोंही

क्रमांक: प.14(12)()आ.प्र.एवं.सहा./तूफान/2019/169

दिनांक 26-02-2020

आदेश

दिनांक 26.06.2019 को ग्राम आपरीखेडा (पिण्डवाडा) में अंधड व बरसात होने से श्री नारायणलाल पुत्र हीराजी ग्रासीया के मकान को नुकसान होने से तहसीलदार पिण्डवाडा की रिपोर्ट एवं जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड एवं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड के नोमर्स दिनांक 08.04.2015 के बिन्दू संख्या 9 (C)(ii) के प्रावधानानुसार 3200/- की सहायता राशि का प्रावधान होने से श्री नारायणलाल पुत्र हीराजी ग्रासीया के नाम राशि रुपये 3200/-(अक्षरे रुपये तीन हजार दो सौ मात्र) की सहायता राशि स्वीकृत की जाकर निम्न लेखा मद से भुगतान करने हेतु सहायतार्थ अनुदान बिल से आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

लेखा मद	क.सं.	मद/अंशदान	राशि
मांग संख्या-34	1	केन्द्रिय अंशदान 75%	2400/-
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ़ चक्रवात आदि, 113-घर की मरम्मत पुनः निर्माण के लिये सहायता	2	राज्य अंशदान 25%	800/-
09- बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये सहायता 07-आंशिक क्षतिग्रस्त घर 12-सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)		योग:-	3200/-

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोंही

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैं :-

- 1-शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर ।
- 2-उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा
- 3-तहसीलदार, पिण्डवाडा को भेजकर लेख है कि संलग्न बिल प्रपत्र पर प्राप्तकर्ता के स्टाम्प लगाकर हस्ताक्षर कर दो-प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ताकि अपेक्षित कार्यवाई सम्पन्न की जा सके ।
- 4-कोषाधिकारी, सिरोंही
- 5- श्री नारायणलाल पुत्र हीराजी ग्रासीया, निवासी आपखरीखेडा, (पिण्डवाडा)

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अति. जिला कलक्टर, एवं सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोंही